न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–2022/178

1. रामेश्वर पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी बम्बलू तहः व जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–12.12.2022

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी को तहसील खाजूवाला के चक 35 केवाईडी का मु0नं0 182/26 के किला नं0 10 में 3 बिस्वा, 11 सालम, 12 में 16 बिस्वा, 13 में 9 बिस्वा, 14 में 2 बिस्वा, 16 में 14 बिस्वा, 17 में 19 बिस्वा, 18 ता 25 सालम कुल 12.03 बीघा रकबा लाईटलूम में आवंटन हुआ था। उक्त रकबा के किला नं0 16 व 17 को छोड़कर बाकी रकबा की खातेदारी जारी हो गयी थी क्योंकि किला नं0 16 में 19 बिस्वा, 17 में 19 बिस्वा का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में है लेकिन आंवटन आदेश में किला नं0 16 में 14 बिस्वा, 17 में 19 बिस्वा का आंवटन अंकित होने के कारण किला नं0 16 व 17 की खातेदारी नहीं हुयी है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 16 में 19 बिस्वा के स्थान पर 14 बिस्वा व 17 में 19 बिस्वा आवंटन अनुसार संशोधन करवाकर खातेदारी जारी करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2022/3397 दिनांक 06.12.2022 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार चक 35 केवाईडी के मु0नं0 182/26 के किला नं0 16/1 एवं 17/2 के आवंटन आदेश में संशोधन करके खातेदारी हेतु निवेदन है। इसके सैल रजिस्टर में रामेश्वरलाल पुत्र खुमाराम को किलानं0 16 में 14 बिस्वा एवं किला नं0 17 में 19 बिस्वा भूमि पुख्ता आवंटन है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 16 में 19 बिस्वा व 17/1 में 19 बिस्वा गैरखातेदार दर्ज है किंतु किला नं0 16/1 में 6 बिस्वा नहर भी दर्ज है और मौका पर भी नहर है। मौका पर काश्तकार का कब्जा भी रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में मूल आवंटन पत्रावली नकल जिला अभिलेखागार कलक्ट्रैट बीकानेर के क्रमांक/ 2771 दिनांक 24.12.2021 पेश की गई जिसमें संलग्न आवंटन आदेश में किला नं0 16 में 14 बिस्वा व 17 में 19 बिस्वा अंकित है।

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे आवंटन पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर किला नं0 16 में 19 बिस्वा की जगह 14 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों आवंटन पत्रावली का गहनता से अवलोकन अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की उक्त वादगत भूमि चक 35 केवाईडी के मु0नं0 182/26 के किलानं0 16 में रकबा 19 बिस्वा की जगह 14 बिस्वा दुरस्त कर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी की उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 16 में 19 बिस्वा की जगह 14 बिस्वा नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)